[2020] 5
एस. सी. आर.
465

/

प्रमुख सूचना आयोग बनाम.

गुजरात और एक अन्य का उच्च न्यायालय । (2020 की सिविल अपील Nos.1966-1967)

/

04 मार्च, 2020

[आर. भानुमति, ए. एस. बोपन्ना और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -धारा 19-गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993-आर.149 154 तक-प्रतिवादी सं. द्वारा एक आर. टी. आई. आवेदन दायर किया गया था। 2 सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और प्रमाणित प्रतियों के साथ कुछ मामलों से संबंधित जानकारी मांगना-लोक सूचना अधिकारी, गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 2 कि चूंकि वह आर के अनुसार उक्त कार्यवाही का पक्षकार नहीं है।151 गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार, उनके आवेदन के साथ एक शपथपत्र होना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि किन आधारों के लिए प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है और ऐसा आवेदन करने पर, उन्हें नियम, 1993 के नियम 149 से 154 के अनुसार दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान की जाएंगी-जिसे अपीलीय प्राधिकरण पंजीयक प्रशासन द्वारा बरकरार रखा गया था-प्रतिवादी सं. 2, अपीलार्थी-मुख्य सूचना आयुक्त ने गुजरात उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी को प्रतिवादी सं. 2 द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। 2-उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थी सं। 1-उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी सं. 1 प्रत्यर्थी सं. द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करना। 2-तथापि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया कि जब कोई विशेष क्षेत्र उन नियमों द्वारा शासित होता है जिन्हें अल्ट्रा-वायर्स घोषित नहीं किया जाता है, तो नए नियमों को लागू करने और स्थिति को भ्रमित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है-इस प्रकार, प्रतिवादी नं। 2 को उस उद्देश्य का खुलासा करते हुए एक शपथपत्र दायर करना होगा जिसके लिए उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है और आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःगुजरात उच्च न्यायालय के नियम न तो सूचना के प्रसार या अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों के अनुदान को प्रतिबंधित करते हैं और न ही मना करते

हैं-गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों का आर. 151 किसी तीसरे पक्ष को सूचना तक पहुंच/प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित करता है।

/

/

/

/

/

/

465 ए.

466 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियों के लिए एक आवेदन/शपथपत्र दायर करने की आवश्यकता होती है जिसमें जानकारी मांगने के कारणों को बताया जाता है, जो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। लेकिन केवल सूचना प्राप्त करने के लिए अभ्यास या शुल्क के भुगतान आदि के रूप में एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करता है-आर. टी. आई. अधिनियम और अन्य विधि के प्रावधानों के बीच अंतर्निहित विसंगति के अभाव में, आर. टी. आई. अधिनियम का प्रबल प्रभाव लागू नहीं होगा-उच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली न्यायिक पक्ष की जानकारी/प्रमाणित प्रतियां, आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाएगा-उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय ने पुष्टि की।

/

/

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** गुजरात उच्च न्यायालय नियम**, 1993** के नियम **151** में किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में दस्तावेजों की प्रतियों की मांग करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदक को उन कारणों को बताते हुए एक आवेदन/हलफनामा दायर करने की आवश्यकता होती है जिनके लिए उन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय के नियम किसी तीसरे पक्ष को किसी भी अदालती कार्यवाही या न्यायिक पक्ष के किसी भी दस्तावेज में दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने में बाधा नहीं डालते हैं।ऐसा नहीं है कि आवेदक को जानकारी से इनकार या इनकार कर दिया गया है।केवल इतना करना आवश्यक है कि सूचना प्राप्त करने के कारणों को बताते हुए आवेदन/शपथ पत्र के साथ प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करें।प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के

लिए आधार बताने के लिए तीसरे पक्ष पर जोर देने का कारण न्यायालय को संतुष्ट करना है कि जानकारी प्रामाणिक कारणों से या सार्वजनिक हित को प्रभावी बनाने के लिए मांगी गई है।सूचना उच्च न्यायालय द्वारा वादियों के लिए एक न्यासी के रूप में रखी जाती है ताकि मामले पर निर्णय लिया जा सके और न्याय दिया जा सके।इसे तीसरे पक्ष द्वारा पार्टियों की ऐसी व्यक्तिगत जानकारी या कार्यवाही में सरकार द्वारा दी गई जानकारी तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जा सकती है।ऐसा न हो कि न्यायालय की प्रक्रिया और सूचना का दुरुपयोग होगा और यह असहनीय स्तर तक पहुंच जाएगा।यदि अनुच्छेद **225** के अंतर्गत विरचित गए उच्च न्यायालय के नियम उक्त अधिकार को एक विशेष तरीके से लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं, तो उक्त तंत्र को संरक्षित और पालन किया जाना चाहिए।उक्त तंत्र को केवल इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता है या बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान्य विधि -आर. टी. आई. अधिनियम लागू किया गया है।[पैरा **27**] **[482-**एच; **483-**ए-डी] ए

/

/

/

/

/

467

प्रमुख सूचना आयोग बनाम गुजरात और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय ।

2. आर. टी. आई. अधिनियम का उद्देश्य स्वयं संस्थागत हितों की रक्षा करने और सीमित राजकोषीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करता है।उच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया बोझिल नहीं है और प्रक्रिया बहुत सरल है-जानकारी मांगने के कारणों को बताते हुए आवश्यक अदालत शुल्क के साथ एक आवेदन/हलफनामा दाखिल करना।न्यायिक पक्ष अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई जानकारी वादियों की "व्यक्तिगत जानकारी" है जैसे मालिकाना हक के मामले और पारिवारिक अदालत के मामले आदि। आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगने की आड़ अंतर्गत अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।[पैरा **28**] **[483-**ई-एफ]

/

/

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद **227** के अंतर्गत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यदि उच्च न्यायालय को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरणों से अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो इसमें एक निर्धारिती द्वारा अपनी आय में प्रकट किए गए विवरण शामिल हो सकते हैं।

टैक्स रिटर्न।जैसा कि गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम सेंट्रल में कहा गया है।

/

सूचना आयुक्त और अन्य **(2013) 1** एस. एस. सी. **212,** किसी व्यक्ति द्वारा अपने आयकर विवरण में प्रकट किए गए विवरण व्यक्तिगत जानकारी हैं जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गई है जब तक कि इसमें कोई बड़ा सार्वजनिक हित शामिल न हो और व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है।दस्तावेजों की जानकारी या प्रमाणित प्रतियां मांगते समय, उच्च न्यायालय के नियम, जिसमें किसी कार्यवाही के लिए तीसरे पक्ष को जानकारी मांगने के कारणों को बताते हुए एक शपथपत्र दायर करने की आवश्यकता होती है, उसे आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ उतना ही असंगत नहीं कहा जा सकता है जितना कि इसके बाद की गई अस्वीकृति, यदि कोई हो, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा **8** में निर्धारित कारणों से होगी। **[**पैरा **29] [483-**जी-एच; **484-**ए-बी**]**

/

/

4. यह न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के विचारों का पूरी तरह से समर्थन करता है

पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम आर. एस. मिश्रा **(2017) 244**

डी. एल. टी. **17.**जब उच्च न्यायालय के नियम एक तंत्र प्रदान करते हैं कि सूचना/प्रमाणित प्रतियां एक आवेदन/हलफनामा दाखिल करके प्राप्त की जा सकती हैं, तो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।**[**पैरा **32] [486-ई]**

/

5. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा **4** की उप-धारा **(2)** में प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण जितना हो सके उतना प्रदान करने के लिए कदम उठाए।

/

468 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

/

इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को स्वतः सूचना देना, ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए आर. टी. आई. अधिनियम के उपयोग

का कम से कम सहारा मिल सके।इसलिए, सार्वजनिक प्राधिकरण के काम करने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना का स्वतः प्रकटीकरण सूचना व्यवस्था का एक आवश्यक घटक है।उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेश सभी संबंधित उच्च न्यायालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति इन निर्णयों और आदेशों तक पहुंच प्राप्त कर सकता है।इसी तरह, लंबित मामलों की स्थिति और भारत के संविधान की धारा **235** के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश जैसे स्थानांतरण, नियुक्ति और पदोन्नति जैसे अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।कार्यवाहियों में वादियों से संबंधित दस्तावेजों और अन्य जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने और उचित संतुलन बनाए रखने के लिए, उच्च न्यायालय के नियम तीसरे पक्ष से दस्तावेजों की जानकारी/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए एक आवेदन/हलफनामा दायर करने पर जोर देते हैं, ताकि ऐसा आवेदन ऐसी जानकारी के दुरुपयोग के अलावा असहनीय अनुपात तक पहुंच जाए।[पैरा **33**] [**486**-एफ-एच; **487**-ए-बी]

/

/

/

6. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा **31** केवल सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, **2002** को निरस्त करती है न कि अन्य कानूनों को।यदि विधायिका का इरादा किसी अन्य अधिनियम या कानून को निरस्त करना था जो किसी आवेदक को जानकारी के प्रसार से संबंधित है, तो आर. टी. आई. अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ऐसा निर्दिष्ट किया होगा।इस आशय के किसी भी प्रावधान के अभाव में, आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि उनका कोई ऐसा अर्थ हो जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं था।आर. टी. आई. अधिनियम में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, **2002** को छोड़कर विभिन्न उच्च न्यायालयों या किसी अन्य विशेष विधि द्वारा विरचित गए नियमों का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है।[पैरा **37**] [**488**-ई-एफ]

/

/

7. गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम **151** में कार्यवाही के लिए एक तीसरे पक्ष को एक शपथपत्र दायर करने और जानकारी तक पहुंच या रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों को प्रदान करने के कारणों को बताने की आवश्यकता है और आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ उच्च न्यायालय के नियमों की कोई विसंगति नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय के नियम न तो सूचना के प्रसार या अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों के अनुदान को प्रतिबंधित करते हैं और न ही मना करते हैं।अंतर केवल ए तक है।

/

/

469

प्रमुख सूचना आयोग बनाम गुजरात और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय ।

जैसा कि आवेदन/शपथ पत्र दाखिल करने या शुल्क के भुगतान आदि की शर्त का संबंध है, दोनों प्रावधानों के बीच कोई विसंगति नहीं है और इसलिए, गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम **151** पर आर. टी. आई. अधिनियम का कोई प्रबल प्रभाव नहीं है।[पैरा **38**] [**488**-जी-एच; **489**-ए]

8. यह न्यायालय इस निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देता है:- **(i)** गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों का नियम **151**, जिसमें किसी तीसरे पक्ष को सूचना प्राप्त करने/दस्तावेजों या आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है, को सूचना प्राप्त करने के कारणों को बताते हुए एक आवेदन/शपथपत्र दायर करने की आवश्यकता है, जो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। लेकिन केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यास या शुल्क के भुगतान आदि के रूप में एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करता है।आर. टी. आई. अधिनियम और अन्य विधि ों के प्रावधानों के बीच अंतर्निहित विसंगति के अभाव में, आर. टी. आई. अधिनियम का प्रबल प्रभाव लागू नहीं होगा।

/

/

(ii) उच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली न्यायिक पक्ष की जानकारी/प्रमाणित प्रतियां, आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाएगा।[पैरा **43**] [**490**-एफ-एच; **491**-ए-बी]

/

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल **2019 (16)** स्केल **40;** भारतीय कंपनी सचिव संस्थान बनाम.

/

पारस जैन (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 764; गिरीश

रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना

आयुक्त और अन्य। (2013) 1 एससीसी 212:[2012] 8 एस. सी. आर. 1097-संदर्भित।

/

पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम आर. एस. मिश्रा

(2017) 244 डीएलटी**179-**स्वीकृत।

राज्य लोक सूचना अधिकारी और उप-पंजीयक (प्रतिष्ठान) बनाम कर्नाटक सूचना आयोग और एक अन्य **(2013** का डब्ल्यू. पी. **No.26763** दिनांक **09.01.2019)-**संदर्भित।

/

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम शौनक

एच. सत्या और ओआरएस। **(2011) 8** एससीसी **781:[2011] 14** एससीआर

328; आर. एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य **(1992)**

एससीसी **335:[1991] 1** पूरक।एस. सी. आर. **387-**निर्भर।

/

/

संदर्भित निर्णय

2019 (16) स्केल **40**

संदर्भित

पैरा **9**

[2012] 8 एससीआर **1097**

संदर्भित

पैरा **29**

[2011] 14 एससीआर **328**

पर विश्वास किया

पैरा **30**

/

[1991] 1 पूरक।एससीआर **387**

पर विश्वास किया

पैरा **36**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2020 की सिविल अपील सं. 1966-1967।

2013 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 7880 में 2013 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1348 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 13.03.2014 के निर्णय और आदेश से।

/

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी. (ए. सी)।

प्रितेश कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता, साल्वाडोर एस. रिबेलो, सुश्री सुहासिनी सेन, सुश्री ए. राउल, नीलेश्वर पवनी, सुश्री रिया सोनी, सुश्री आकांक्षा जैन, सुश्री शिविका अग्रवाल, अरविंद कुमार शर्मा, कबीर हाथी, सुश्री शिखा संधू, सुश्री साधना संधू, सुश्री जेसल वाही, अनिरुद्ध पी. मयी, ए. राजाराजन, संजीव के. चौधरी, प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, सुश्री नेहा राठी, जतिन भारद्वाज, राहुल गुप्ता, मेसर्स।एलिस राज, एड.उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

आर. भानुमति, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में निर्धारण के लिए आने वाला बिंदु उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों का सहारा लिए बिना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके उच्च न्यायालय से प्राप्त की जाने वाली प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने के तीसरे पक्ष के अधिकार के संबंध में है।

/

3. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैं:- प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.04.2010 पर एक आर. टी. आई. आवेदन दायर किया गया था जिसमें निम्नलिखित मामलों से संबंधित जानकारी मांगी गई थी-2003 का सिविल आवेदन No.5517 और 1989 का सिविल आवेदन No.8072 सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और प्रमाणित प्रतियों के साथ।जवाब में, गुजरात उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 29.04.2010 के पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को सूचित किया कि आवश्यक प्रतियां प्राप्त करने के लिए, उसे एक ए बनाना चाहिए।

/

/

प्रमुख सूचना आयोग बनाम गुजरात और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय । [आर. भानुमति, जे.] ए.

व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से "उप-पंजीयक" को आवश्यक शुल्क के साथ 3/- रुपये की न्यायालय ी शुल्क की मुहर लगाने पर आवेदन।यह आगे कहा गया कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के नियम 151 के अनुसार, उनके आवेदन के साथ एक शपथपत्र होना चाहिए जिसमें उन आधारों को बताया गया हो जिनके लिए प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है और ऐसा आवेदन करने पर, उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के नियम 149 से 154 के अनुसार दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान की जाएंगी।

/

4. पीड़ित होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 2 ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में "आर. टी. आई. अधिनियम") की धारा 19 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण-पंजीयक प्रशासन के समक्ष 2010 की अपील को प्राथमिकता दी।अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए, गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के अंतर्गत वैकल्पिक प्रभावी उपाय पहले से ही उपलब्ध है और आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत , कोई प्रमाणित प्रतियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं।5. उत्तरदाता सं. 2 ने तब अपीलार्थी-मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष 2010-11 की दूसरी अपील दायर की और उत्तरदाता सं. 1 को नोटिस भेजा गया। प्रत्यर्थी No.1-High अदालत ने इस स्थिति को दोहराते हुए अपना जवाब दायर किया कि गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 149 से 154 के अंतर्गत ऐसे प्रावधान हैं जो प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके अनुसार, आवेदन/हलफनामा उन आधारों को बताते हुए दायर किया जाना चाहिए जिनके लिए दस्तावेजों की आवश्यकता है और आवश्यक अदालत शुल्क टिकट के साथ।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कहा कि उप-पंजीयक (सी. सी. अनुभाग), डिक्री विभाग, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित करने वाले दिनांकित पत्र के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार आवेदन नहीं किया है और लोक सूचना अधिकारी को उच्च न्यायालय के नियमों का उल्लंघन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है और इसलिए, मुख्य सूचना आयुक्त (सी. आई. सी.) के समक्ष दायर अपील खारिज की जा सकती है।आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 (2) और 22 पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी-मुख्य सूचना आयुक्त ने गुजरात उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी को बीस दिनों के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया।

/

/

/

/

/

6. मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 का विशेष नागरिक आवेदन No.7880 दायर किया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 को चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया।

/

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए निर्देश की वैधता और वैधता और आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकार पर अंतिम सुनवाई के चरण में विचार किया जाएगा।हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जानकारी की आपूर्ति को उच्च न्यायालय में आर. टी. आई. अधिनियम की प्रयोज्यता की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा।

/

7. अंतरिम आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी No.1-High अदालत ने डिवीजन बेंच के समक्ष 2013 की लेटर्स पेटेंट अपील No.1348 को प्राथमिकता देते हुए तर्क दिया कि जो पक्ष प्रमाणित प्रतियां चाहता है, उसे गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 149 से 154 के अनुसार प्रतिलिपि शुल्क और आवश्यक अदालत शुल्क स्टाम्प के साथ एक आवेदन करना होगा।नियमों के अनुसार, यदि प्रमाणित प्रति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है जो मुकदमे में पक्षकार नहीं है, तो उसके आवेदन के साथ एक शपथपत्र होना चाहिए जिसमें उस उद्देश्य को दर्शाया गया हो जिसके लिए उसे प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है।आक्षेपित आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने लेटर्स पेटेंट अपील को यह कहते हुए अनुज्ञात कि जब कोई विशेष क्षेत्र उन नियमों द्वारा शासित होता है जिन्हें अल्ट्रा-वायर्स घोषित नहीं किया जाता है, तो नए नियमों को लागू करने और स्थिति को भ्रमित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के नियमों के आलोक में, नियमों के अनुसार शुल्क के भुगतान पर प्रमाणित प्रतियां दी जा सकती हैं और आवेदक (प्रतिवादी संख्या 2) को उस उद्देश्य का खुलासा करते हुए एक शपथपत्र दायर करना होगा जिसके लिए प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है और आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। डिवीजन बेंच ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को यह कहते हुए

दरकिनार कर दिया कि जब किसी व्यक्ति द्वारा एक प्रति की मांग की जाती है, तो वह इस विषय पर उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार होनी चाहिए।

/

/

/

8. चूंकि संबंधित प्रश्न सभी उच्च न्यायालय ों से संबंधित है और मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने श्री आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) से न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध किया है, जिस पर विद्वान ए. एस. जी. ने तुरंत सहमति व्यक्त की।श्री नाडकर्णी ने सभी उच्च न्यायालयों से जानकारी एकत्र की और भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विरचित गए नियमों के बारे में उनके द्वारा प्राप्त जानकारी का संकलन दायर किया।

/

/

9. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रीतेश कपूर ने तर्क दिया है कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 (2) विशेष रूप से प्रदान करती है कि जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को ए.

/

माँगी गई जानकारी का अनुरोध करने के लिए कारण दें और जबकि गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत , दस्तावेजों की प्रतियों की मांग करने वाले तीसरे पक्ष द्वारा किए गए आवेदनों के साथ एक शपथपत्र होगा जिसमें उन आधारों को बताया जाएगा जिन पर उनकी आवश्यकता है और आर. टी. आई. अधिनियम और गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के प्रावधानों के बीच सीधी विसंगति है।यह प्रस्तुत किया गया था कि आर. टी. आई. अधिनियम और गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के प्रावधानों के बीच असंगति को देखते हुए, दोनों के बीच सामंजस्यपूर्ण निर्माण संभव नहीं है और आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों और संसद या राज्य विधानमंडल या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि के बीच संघर्ष की स्थिति में, पहले वाले को प्रबल होना चाहिए।यह प्रस्तुत किया गया था कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22

विशेष रूप से प्रदान करती है कि आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा।विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विरचित गए हैं जो किसी भी अन्य विधि के अधीन होंगे और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 में गैर-अबाधित खंड से पता चलता है कि आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधान उच्च न्यायालय के नियमों पर हावी होंगे।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय जनता में संविधान पीठ के हालिया निर्णय पर भरोसा किया

/

/

/

सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र

अग्रवाल 2019 (16) स्केल 40।

10. हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने कहा कि इस बात की कोई आशंका नहीं हो सकती है कि किसी आवेदक को आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय से जानकारी लेने की अनुमति देने से अन्य पक्षों की गोपनीयता/अधिकार या न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रीतेश कपूर के निवेदन को दोहराते हुए श्री प्रशांत भूषण ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों का नियम 151 आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 (2) के अनुरूप नहीं है और आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधान सार्वजनिक प्राधिकरणों/गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के प्रासंगिक नियमों पर लागू होते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 के माध्यम से हमें लेते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आर. टी. आई. अधिनियम सूचना के प्रसार और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ संसद द्वारा बनाया गया एक सामान्य विधि है और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 के गैर-बाधा खंड को देखते हुए, "सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी तक पहुंच" के संबंध में किसी भी संघर्ष के मामले में, आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य विधि पर प्रबल होंगे।अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने इस पर भरोसा रखा

/

/

/

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान बनाम पारस जैन **2019** एस. सी. सी.

ऑनलाइन एससी 764 और सुभाष में संविधान पीठ का निर्णय

/

चंद्र अग्रवाल।

474

/

[2020] 5 एस सी आर।

11. गुजरात के प्रत्यर्थी No.1-High न्यायालय की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अनिरुद्ध पी. मयी ने प्रस्तुत किया कि गुजरात उच्च न्यायालय के नियम 149 से 154 आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 के विपरीत कुछ भी निर्धारित नहीं करते हैं और गुजरात उच्च न्यायालय का नियम 151 आर. टी. आई. अधिनियम के अनुरूप है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को केवल गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने के लिए सूचित किया गया था और चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, इसलिए उन्हें सूचित किया गया था कि उनके आवेदन के साथ एक शपथपत्र होगा जिसमें उन आधारों को दर्शाया जाएगा जिनके लिए प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 151 के अंतर्गत एक प्रभावी उपाय उपलब्ध है जो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, तो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा कि आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है और अपीलकर्ता-मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया।

/

/

12. श्री नाडकर्णी, विद्वान न्यायमित्र ने हमें विभिन्न उच्च न्यायालय ों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के नियम विरचित गए हैं और नियम आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद मुकदमे में पक्षकार व्यक्तियों को प्रमाणित प्रतियों के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने का एक तरीका प्रदान करते हैं।यह प्रस्तुत किया गया था कि जहां तक तीसरे पक्ष यानी ऐसे व्यक्तियों का संबंध है जो मुकदमे में पक्षकार नहीं हैं, वही नियमों के अंतर्गत भी प्रदान किया जाता है, यदि तीसरा पक्ष ऐसी जानकारी/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए उचित आधार बताते हुए एक शपथपत्र दायर करता है।विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम और उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए नियमों के बीच कोई विसंगति नहीं है ताकि जानकारी प्रदान की जा सके।यह भी प्रस्तुत किया गया कि हालांकि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 का किसी भी अन्य कानून पर एक प्रबल प्रभाव है, लेकिन विसंगतियों के मामले में, आर.

टी. आई. अधिनियम की धारा 22 उन कानूनों को ओवरराइड करने पर विचार नहीं करती है जिनका उद्देश्य सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना भी है।विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि जहाँ तक उच्च न्यायालय के न्यायिक पक्ष की जानकारी है, उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए नियम आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन दायर करके और आधार बताते हुए एक शपथपत्र दायर करके उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार तीसरे पक्ष को जानकारी के प्रसार का प्रावधान करते हैं।जहाँ तक उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष की जानकारी का संबंध है, विद्वान न्यायमित्र ने कहा कि इस तरह की जानकारी तक पहुँच विभिन्न उच्च न्यायालय ों द्वारा विरचित गए नियमों और ए द्वारा आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत विरचित गए नियमों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

/

/

/

/

/

475

प्रमुख सूचना आयोग बनाम गुजरात और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय । [आर. भानुमति, जे.] ए.

उच्च न्यायालय।दिल्ली के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना

उच्च न्यायालय में पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम आर. एस. मिश्रा

(2017) 244 डीएलटी**179** और कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय

कर्नाटक सूचना आयुक्त बनाम राज्य सार्वजनिक सूचना

अधिकारी और 2008 के एक अन्य डब्ल्यू. पी. (सी) No.9418, विद्वान न्यायमित्र

प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ों ने एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया है कि उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 और उच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है और एक बार किसी भी जानकारी को क़ानून या विरचित गए नियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

/

/

13. हमने दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।इस अपील में विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:-

(i) क्या गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 का नियम 151 यह निर्धारित करता है कि तीसरे पक्ष को दस्तावेजों की प्रति प्रदान करने के लिए, उन्हें प्रमाणित प्रतियां मांगने के कारणों को बताते हुए एक शपथपत्र दायर करना आवश्यक है, जो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ किसी भी विसंगति से ग्रस्त है?

/

((ii) जब सूचना/प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए दो मशीनरी हैं-एक उच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत और दूसरी आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत , उच्च न्यायालय के नियमों में किसी भी विसंगति के अभाव में, क्या प्रमाणित प्रतिलिपि/जानकारी प्राप्त करने के लिए आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है?

/

14. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) "सूचना" शब्द का अर्थ बताती है जो निम्नानुसार है:-

/

2. परिभाषाएँ।– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

.....

(च) "सूचना" से किसी भी रूप में कोई भी सामग्री अभिप्रेत है, जिसमें अभिलेख , दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

/

/

15. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एच) "सार्वजनिक प्राधिकरण" को परिभाषित करती है। आर. टी. आई. अधिनियम में "सार्वजनिक प्राधिकरण" शब्द का बहुत व्यापक अर्थ दिया गया है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एच) निम्नानुसार हैः-

2. परिभाषाएँ।– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

/

.....

(ज) "लोक प्राधिकारी" से स्थापित या गठित स्वशासन का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था अभिप्रेत है -

((क) संविधान द्वारा या उसअंतर्गत ;

/

((ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि द्वारा;

((ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है -

((i) स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

/

((ii) गैर-सरकारी संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं।

16. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (आई) "अभिलेख" को परिभाषित करती है जो एक समावेशी परिभाषा है।धारा 2 (जे) "सूचना के अधिकार" की व्याख्या करती है।आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (आई) और 2 (जे) निम्नानुसार हैः-

/

2. परिभाषाएँ।– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

.....

/

((i) "अभिलेख" में शामिल हैं-(i) कोई भी दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल;

((ii) किसी दस्तावेज़ की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति;

/

((ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निहित छवि या छवियों का कोई पुनरुत्पादन (चाहे वह बड़ी हो या नहीं); और

((iv) कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

/

477

प्रमुख सूचना आयोग बनाम गुजरात और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय । [आर. भानुमति, जे.] ए.

(जे) "सूचना के अधिकार" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में है और इसमें -

((i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

((ख) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणियाँ, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ लेना;

/

((ग) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर में या किसी अन्य उपकरण में संग्रहीत की जाती है;

/

17. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। अभिलेख का विधि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) से 8 (1) (जे) में बताए गए अपवादों या छूटों के अधीन है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के दस खंड हैं। धारा 8 की उप-धारा (1) का खंड (ए) ऐसी जानकारी से संबंधित है जो देश की संप्रभुता या अखंडता और इसी तरह के मामले से समझौता करेगी; खंड (बी) में ऐसी कोई भी जानकारी शामिल है जिसे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसका खुलासा न्यायालय की अवमानना का गठन कर सकता है; खंड (सी) ऐसे मामलों को शामिल करता है जो संसद या राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार का उल्लंघन करेगा; खंड (डी) वाणिज्यिक प्रकृति और व्यापार रहस्यों और बौद्धिक संपदा की जानकारी की रक्षा करता है; खंड (ई) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण से छूट देता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का समाधान नहीं हो जाता है कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देता है; खंड (एफ) अभिलेख के प्रसार को रोकता है, यदि

/

/

/

/

/

18. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी मामले में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 (16) स्केल 40

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सी. पी. आई. ओ. को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा घोषित संपत्तियों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया।संविधान पीठ ने कहा कि इस तरह का खुलासा किसी भी तरह से न्यायाधीशों की व्यक्तिगत जानकारी और निजता के अधिकार को बाधित नहीं करेगा।आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के संदर्भ में प्रत्ययी संबंध नियम को लागू नहीं किया गया था।पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर व्यापक रूप से भरोसा किया।चूँकि हमारे सामने मुद्दा उच्च न्यायालय के नियमों का है।, आर. टी. आई. अधिनियम में, हम पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रचुर मात्रा में भरोसा की गई विभिन्न टिप्पणियों को संदर्भित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

/

/

19. अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है।अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल हैं।संविधान के अनुच्छेद 145 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय , समय-समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, आम तौर पर न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने "सर्वोच्च न्यायालय के नियम" विरचित हैं।उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश XIII में मुकदमे के पक्षकारों और तीसरे पक्षकारों को दलीलों, निर्णयों, दस्तावेजों, फरमानों या आदेशों, गवाहों के बयान आदि की प्रमाणित प्रतियां देने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय में किसी कार्यवाही के पक्षकार "उच्चतम न्यायालय के नियमों" के अनुसार उचित आवेदन और न्यायालय शुल्क देय करके प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के हकदार होंगे।जहाँ तक तृतीय पक्षों का संबंध है, उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश XIII नियम 2 के अनुसार,

न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर, जो मामले, अपील या मामले में पक्षकार नहीं है, लंबित या निपटाया गया है, अच्छे कारण पर ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रतियाँ प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है जो उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश XIII नियम 1 में उल्लिखित हैं या हैं।इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार भी, दस्तावेज़ों या आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्ष को उचित कारण दिखाने की आवश्यकता होती है।

/

/

/

/

20. अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है।प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त कर सकता है।उच्च न्यायालय के नियम ए विरचित गए हैं

/

भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत ।आदेशों/दस्तावेजों आदि की प्रतियों/प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, न्यायिक पक्ष की जानकारी होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए नियमों द्वारा शासित होती है।जहाँ तक आर. टी. आई. अधिनियम का संबंध है, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न उच्च न्यायालय ों ने आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत नियम विरचित हैं और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष की जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय ों द्वारा विरचित गए नियमों के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। 21.वर्तमान मामले में, हम गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों से चिंतित हैं। मुकदमे के पक्षकारों और तीसरे पक्षकारों को प्रमाणित प्रतियों का अनुदान गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 149 से 154 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।नियमों के अनुसार, निर्धारित न्यायालय शुल्क स्टाम्प के साथ आवेदन दायर करने पर, मुकदमेबाज/कार्यवाही के पक्षकार दस्तावेजों/आदेशों/निर्णयों आदि की प्रतियां प्राप्त करने के हकदार हैं। तीसरे पक्ष जो किसी भी कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं, उन्हें सहायक पंजीयक के आदेश के बिना निर्णयों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां नहीं दी जाएंगी।गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 151 के अनुसार, तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दस्तावेजों/निर्णयों की प्रतियों के लिए अनुरोध करने वाले आवेदनों के साथ

एक शपथपत्र होगा जिसमें उन आधारों को बताया जाएगा जिनके लिए वे आवश्यक हैं।नियम 151 इस प्रकार है:-

/

/

/

"151. प्रतियों के हकदार कार्यवाही के पक्षकार; शपथ पत्र के साथ तीसरे पक्ष द्वारा आवेदन।किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में दस्तावेजों की प्रतियां और उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतियां सहायक पंजीयक के आदेश के बिना पक्षकारों के अलावा अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जाएंगी। दस्तावेज़ों की प्रतियों या तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए निर्णय के लिए आवेदनों के साथ एक शपथपत्र होगा जिसमें उन आधारों को बताया जाएगा जिन पर उनकी आवश्यकता है, बशर्ते कि ऐसा शपथपत्र संघ की सरकार, किसी भी राज्य की सरकार या किसी विदेशी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए आवेदनों के मामले में दिया जाएगा। "

/

/

22. विद्वान न्यायमित्र ने विभिन्न उच्च न्यायालयों से आदेशों/निर्णयों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की है।विभिन्न उच्च न्यायालय ों द्वारा विरचित गए नियमों के अनुसार, कार्यवाही के पक्ष निर्धारित अदालत शुल्क स्टाम्प के साथ आवेदन दाखिल करने पर आदेशों/निर्णयों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के हकदार हैं।जहां तक तीसरे पक्ष को प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने का संबंध है, उनके द्वारा विरचित गए नियम

/

/

उच्च न्यायालय ों ने निर्धारित किया है कि दस्तावेजों/आदेशों या निर्णयों या कार्यवाही की प्रतियों की प्रमाणित प्रतियां केवल अदालत या पंजीयक द्वारा पारित आदेशों पर तीसरे पक्ष को दी जाएंगी, जब वे उचित कारण और दस्तावेजों की जानकारी/प्रमाणित प्रतियों की मांग करने के कारणों के बारे में संतुष्ट होंगे।हम बॉम्बे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास और विभिन्न अन्य उच्च

न्यायालयों द्वारा विरचित गए नियमों का उल्लेख कर सकते हैं जो तीसरे पक्ष को जानकारी/प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए समान प्रावधान निर्धारित करते हैं।नियम निर्धारित करते हैं कि तीसरे पक्ष को न्यायिक पक्ष की जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने या दस्तावेजों/निर्णयों/आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए, तीसरे पक्ष को उन कारणों को बताते हुए एक आवेदन करना होगा जिनके लिए वे आवश्यक हैं और भुगतान पर आवश्यक न्यायालय शुल्क की मुहर।जैसा कि पहले बताया गया है, उच्चतम न्यायालय के नियमों में यह भी निर्धारित किया गया है कि दस्तावेजों या आदेशों की प्रमाणित प्रतियां केवल उचित कारण के बारे में संतुष्ट होने पर ही तीसरे पक्ष को प्रदान की जा सकती हैं।यह ध्यान दिया जाए कि दस्तावेज़ों/निर्णयों/आदेशों/अदालती कार्यवाही की जानकारी या प्रमाणित प्रतियों तक पहुंच से तीसरे पक्ष को इनकार नहीं किया जाता है।उच्च न्यायालय के नियम केवल यह निर्धारित करते हैं कि तीसरे पक्ष को उन कारणों को बताते हुए एक आवेदन/हलफनामा दायर करना होगा जिनके लिए जानकारी/प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है।गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुविरचित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के साथ आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई विसंगति नहीं है।

/

/

/

/

23. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रीतेश कपूर ने प्रस्तुत किया है कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 (2) एक ठोस अधिकार प्रदान करती है और जो व्यक्ति जानकारी/प्रतियां मांग रहा है, उसे कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है और इस अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए प्रक्रियात्मक कानूनों द्वारा कम या कम नहीं किया जा सकता है।राज कुमार के इस तर्क के समर्थन में कि अनुच्छेद 225 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए नियम किसी भी ठोस विधि को नहीं बना सकते हैं या कम नहीं कर सकते हैं, राज कुमार पर भरोसा किया गया था।

/

यादव बनाम समीर कुमार महासेठ और अन्य **(2005) 3** एससीसी **601**।

/

विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 विशेष रूप से प्रदान करती है कि आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का वर्तमान में लागू अन्य कानूनों पर एक प्रबल प्रभाव होगा।इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों

और संसद या राज्य विधानमंडल या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य कानून के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, आर. टी. आई. अधिनियम ए के प्रावधान

/

481

प्रमुख सूचना आयोग बनाम गुजरात और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय । [आर. भानुमति, जे.] ए.

आर. टी. आई. अधिनियम प्रबल होना चाहिए और इसलिए, आर. टी. आई. अधिनियम उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए नियमों पर प्रबल होगा।हस्तक्षेप आवेदकों के विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने भी यही निवेदन दोहराया।

24. अपीलार्थी और श्री प्रशांत भूषण के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आग्रह किए गए तर्कों पर विचार करने के लिए, आइए हम उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित जानकारी की विभिन्न श्रेणियों का संक्षेप में उल्लेख करें, जो मोटे तौर पर निम्नानुसार हैं:-

/

(ए) मुकदमेबाजी/कार्यवाही के पक्षों से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई जानकारी-दलीलें, दस्तावेज और अन्य सामग्री और पक्षों द्वारा उठाए गए आधारों का ज्ञापन;

/

(ख) उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और निर्णय, कार्यवाहियों की टिप्पणियाँ आदि।;

(ग) अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अभिलेख की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों जैसे अधीनस्थ न्यायपालिका, विभिन्न न्यायाधिकरणों जैसे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य न्यायाधिकरणों द्वारा प्रस्तुत/मांगी गई जानकारी;

/

(घ) उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष की जानकारी जैसे कि न्यायिक अधिकारियों, उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और नियुक्ति, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रशासनिक कार्य से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी।

/

(ङ) उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय , सरकार और जिला न्यायपालिका आदि के साथ पत्राचार।;

/

और

(च) उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों की सिफारिशें करने में उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में प्रशासनिक पक्ष की जानकारी; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आयोजित वर्तमान न्यायाधीशों की संपत्तियों के बारे में जानकारी।

/

25. श्रेणियों (ए), (बी) और (सी) के अंतर्गत जानकारी और न्यायिक पक्ष की अन्य जानकारी को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों तक पहुँचा जा सकता है और कार्यवाही के पक्षों द्वारा आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं।

/

उच्च न्यायालय के नियमों के संदर्भ में और कार्यवाही के पक्षकार उसी के हकदार हैं।जहां तक तीसरे पक्ष का संबंध है, वे जानकारी प्राप्त करने/दस्तावेजों, आदेशों और अन्य कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।उच्च न्यायालय द्वारा विरचित गए नियमों के अनुसार, कोई तीसरा पक्ष दस्तावेजों, आदेशों या निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकता है या केवल एक आवेदन/हलफनामा दायर करके और वह कारण बताकर जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिए दस्तावेजों या आदेशों की जानकारी/प्रतियों की आवश्यकता होती है।जहाँ तक प्रशासनिक पक्ष यानी श्रेणियाँ (डी), (ई) और (एफ) की बात है, कोई भी व्यक्ति विभिन्न उच्च न्यायालय ों द्वारा बनाए गए नियमों या आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी या दस्तावेजों की प्रतियों तक पहुँच प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा धारित न्यायाधीशों की संपत्तियों के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण है, वही अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के विरचित आता है।

/

/

संविधान पीठ ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 (16) में रिपोर्ट दी

/

26. आर. टी. आई. अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है कि यह अधिनियम लागू किया गया था।

"प्रत्येक व्यक्ति के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

सार्वजनिक प्राधिकरण।".अधिनियम को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था

"एक सूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता का अधिकार जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों और उनके उपकरणों को जवाबदेह ठहराने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

/

शासित लोगों के लिए "..प्रस्तावना की शुरुआत संविधान द्वारा एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना और इसलिए एक जानकार नागरिक की आवश्यकता के संदर्भ में होती है।प्रस्तावना से पता चलता है कि विधायिका सरकारों के कुशल संचालन और सीमित वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण और इन परस्पर विरोधी हितों को सुसंगत बनाने की आवश्यकता सहित अन्य सार्वजनिक हित के साथ संभावित संघर्ष के प्रति सचेत थी।भारत के एक नागरिक को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अधीन कोई भी जानकारी मांगने का पूरा अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल प्रस्तावना में निर्धारित अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है, यानी सूचना की पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

/

/

27. गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के नियम 151 में किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में दस्तावेजों की प्रतियों की मांग करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदक को उन कारणों को बताते हुए एक आवेदन/हलफनामा दायर करने की आवश्यकता होती है जिनके लिए उन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय के नियम ए नहीं करते हैं

/

/

प्रमुख सूचना आयोग बनाम गुजरात और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय । [आर. भानुमति, जे.] ए.

किसी भी न्यायालय ी कार्यवाही या न्यायिक पक्ष के किसी भी दस्तावेज़ में दस्तावेज़ों की प्रतियां प्राप्त करने से किसी तीसरे पक्ष को बाधित करना।ऐसा नहीं है कि आवेदक को जानकारी से इनकार या इनकार कर दिया गया है।केवल इतना करना आवश्यक है कि सूचना प्राप्त करने के कारणों को बताते हुए आवेदन/शपथ पत्र के साथ प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करें।प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आधार बताने के लिए तीसरे पक्ष पर जोर देने का कारण न्यायालय को संतुष्ट करना है कि जानकारी प्रामाणिक कारणों से या सार्वजनिक हित को प्रभावी बनाने के लिए मांगी गई है। सूचना उच्च न्यायालय द्वारा वादियों के लिए एक न्यासी के रूप में रखी जाती है ताकि मामले पर निर्णय लिया जा सके और न्याय दिया जा सके।इसे तीसरे पक्ष द्वारा पार्टियों की ऐसी व्यक्तिगत जानकारी या कार्यवाही में सरकार द्वारा दी गई जानकारी तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जा सकती है।ऐसा न हो कि न्यायालय की प्रक्रिया और सूचना का दुरुपयोग होगा और यह असहनीय स्तर तक पहुंच जाएगा।यदि अनुच्छेद 225 के अंतर्गत विरचित गए उच्च न्यायालय के नियम उक्त अधिकार को एक विशेष तरीके से लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं, तो उक्त तंत्र को संरक्षित और पालन किया जाना चाहिए।उक्त तंत्र को केवल इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता है या बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान्य विधि -आर. टी. आई. अधिनियम लागू किया गया है।

/

/

/

28. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आर. टी. आई. अधिनियम का उद्देश्य स्वयं संस्थागत हितों की रक्षा करने और सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण की आवश्यकता को पहचानता है।उच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया बोझिल नहीं है और प्रक्रिया बहुत सरल है-जानकारी मांगने के कारणों को बताते हुए आवश्यक अदालत शुल्क के साथ एक आवेदन/हलफनामा दाखिल करना। न्यायिक पक्ष अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई जानकारी वादियों की "व्यक्तिगत जानकारी" है जैसे मालिकाना हक के मामले और पारिवारिक अदालत के मामले आदि। आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगने की आड़ अंतर्गत अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

/

/

29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यदि उच्च न्यायालय को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरणों से अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो इसमें एक निर्धारिती द्वारा अपने आयकर विवरण में प्रकट किए गए विवरण शामिल हो सकते हैं।जैसा कि गिरीश में आयोजित किया गया था

/

रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त और

अन्य (2013) 1 एस. एस. सी. 212, किसी व्यक्ति द्वारा अपने आयकर विवरण में प्रकट किए गए विवरण व्यक्तिगत जानकारी हैं जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गई है जब तक कि इसमें कोई बड़ा सार्वजनिक हित शामिल न हो और व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित नहीं ठहराता है।खोजते समय

/

/

/

[2020] 5 एस सी आर।

दस्तावेज़ों की जानकारी या प्रमाणित प्रतियाँ, उच्च न्यायालय के नियम जिसमें किसी कार्यवाही के लिए तीसरे पक्ष को जानकारी मांगने के कारणों को बताते हुए एक शपथपत्र दायर करने की आवश्यकता होती है, उसे आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ उतना ही असंगत नहीं कहा जा सकता है जितना कि इसके बाद की गई अस्वीकृति, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 में निर्धारित कारणों से होगी।

/

30. आर. टी. आई. अधिनियम के कार्यान्वयन पर विचार करते हुए और यह देखते हुए कि उक्त अधिकार को लागू करने के लिए मौजूदा तंत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए।

और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम शौनक एच. सत्य और अन्य (2011) 8 एस. सी. सी. 781 में उच्चतम न्यायालय द्वारा संचालित किया गया।

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः- "24. लोकतंत्र के उद्देश्यों में से एक भ्रष्टाचार को रोकने और जवाबदेही लाने के लिए सूचना की पारदर्शिता लाना है।लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि सरकारों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कुशल संचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग, संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का संरक्षण आदि सहित अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितों को नजरअंदाज या त्याग दिया जाना चाहिए।आर. टी. आई. अधिनियम का उद्देश्य परस्पर विरोधी सार्वजनिक हितों में सामंजस्य स्थापित करना है, यानी एक ओर जवाबदेही लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि सूचना का खुलासा, वास्तविक व्यवहार में, अन्य सार्वजनिक हितों को नुकसान या प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे, जिसमें सरकारों का कुशल संचालन, सीमित वित्तीय

संसाधनों का इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का संरक्षण शामिल है।जहां धारा 3 और 4 पहले उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं धारा 8,9,10 और 11 दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं।

/

/

/

/

25. इसलिए, जब धारा 8 कुछ सूचनाओं को प्रकट करने से छूट देती है, तो इसे सूचना के अधिकार में बाधा नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक आदर्शों की पूर्ति और संरक्षण के लिए आवश्यक अन्य सार्वजनिक हितों की रक्षा करने वाले समान रूप से महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए।इसलिए, धारा 4 (1) (बी) और (सी) के अंतर्गत नहीं आने वाली जानकारी से निपटने में, आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी धारा 8 में दी गई छूट को प्रतिबंधात्मक तरीके से नहीं बल्कि व्यावहारिक तरीके से पढ़ेंगे ताकि अन्य सार्वजनिक हितों को संरक्षित किया जा सके और आर. टी. आई. अधिनियम सूचना की पारदर्शिता प्राप्त करने और अन्य सार्वजनिक हितों की रक्षा के अपने लक्ष्य के बीच एक अच्छा संतुलन प्राप्त कर सके। "

/

/

/

प्रमुख सूचना आयोग बनाम गुजरात और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय । [आर. भानुमति, जे.] ए.

/

31. इस मुद्दे की जांच करते हुए कि जानकारी प्राप्त करने के लिए दो तंत्र मौजूद हैं, अर्थात् उच्चतम न्यायालय के नियम और आर. टी. आई.

अधिनियम, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयक बनाम आर. एस. मिश्रा **(2017)** में

244 डीएलटी**179,** दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि "एक बार कोई जानकारी"

किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, फिर आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। "

/

(2017) 244 डीएलटी179 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- "53. प्रस्तावना से पता चलता है कि आर. टी. आई. अधिनियम केवल नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है जो अब तक 36 का पृष्ठ 22 उपलब्ध नहीं था।न तो आर. टी. आई. अधिनियम की प्रस्तावना और न ही अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान आर. टी. आई. अधिनियम के उद्देश्य का खुलासा करता है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त साधन प्रदान करता है जिन्होंने उक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पहले ही नियम और योजनाएं तैयार कर ली हैं।निश्चित रूप से यदि उक्त नियम, विनियम और योजनाएं आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत सुलभ की गई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदान नहीं करती हैं, तो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधान का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को दोहराने या गुणा करने के लिए नहीं।

/

/

54. इस न्यायालय की यह राय है कि यदि किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता है क्योंकि आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आधार का अभाव है, अर्थात् पारदर्शिता की कमी।दूसरे शब्दों में, आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए यदि उन्हें पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए सक्रिय नहीं किया जाता है।

/

55. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (जे) से पता चलता है कि उक्त अधिनियम केवल उस जानकारी से संबंधित है, जो 'सार्वजनिक प्राधिकरण' के अनन्य नियंत्रण अंतर्गत है। प्रतियाँ/प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करना जानकारी प्रदान करने से अलग नहीं है।एस. सी. आर. न केवल न्यायिक अभिलेख की 'प्रमाणित प्रतियां' प्रदान करने से संबंधित है, बल्कि 'प्रमाणित प्रति नहीं' या केवल दस्तावेज़ की 'प्रति' प्रदान करने से भी संबंधित है।अभिलेख का प्रमाणन सहायक पंजीयक/शाखा अधिकारी या पंजीयक की ओर से किसी भी अधिकारी द्वारा किया जाता है।इस न्यायालय की राय में, एक कानून के मामले में जो आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रसार पर विचार करता है, ऐसी स्थिति में जनता को ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आर. टी. आई. अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा लेना होगा।

/

/

/

486

/

[2020] 5 एस सी आर।

56. आर. टी. आई. अधिनियम के अन्य प्रावधान हैं जो उक्त स्थिति का समर्थन करते हैं, अर्थात् धारा 4 (2), (3) और (4) जो यह विचार करते हैं कि यदि कोई जानकारी प्रसारित की जाती है तो जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए आर. टी. आई. अधिनियम का उपयोग करने के लिए न्यूनतम सहारा मिलेगा।वर्तमान मामले में, एस. सी. आर. के प्रावधानों के अंतर्गत जानकारी का प्रसार धारा 7 (9) के उपरोक्त स्पष्टीकरण में प्रदान की गई "प्रसारित" की परिभाषा में पूरी तरह से फिट बैठता है और प्रस्तावना में जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रतिबंध पर विचार किया गया है यदि यह "सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों को असमान रूप से विचलित करता है"।57. धारा 4 (2) में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का निरंतर प्रयास रहेगा कि वह अपनी उप-धारा (1) की आवश्यकताओं के अनुसार कदम उठाए और अंतराल सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को स्वतः ही अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करे ताकि जनता को प्राप्त करने के लिए आर. टी. आई. अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा मिल सके।

/

/

जानकारी दी।" [रेखांकित करना जोड़ा गया]

/

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया था।

राज्य लोक सूचना अधिकारी और उप-पंजीयक (प्रतिष्ठान) बनाम कर्नाटक सूचना आयोग और अन्य

2013 का WP No.26763 दिनांक 09.01.2019।

32. हम दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त विचारों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।जब उच्च न्यायालय के नियम एक तंत्र प्रदान करते हैं कि सूचना/प्रमाणित प्रतियां एक आवेदन/हलफनामा दाखिल करके प्राप्त की जा सकती हैं, तो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

/

33. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को स्वतः ही अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाए, ताकि जनता जानकारी प्राप्त करने के लिए आर. टी. आई. अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा ले सके।इसलिए, सार्वजनिक प्राधिकरण के काम करने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना का स्वतः प्रकटीकरण सूचना व्यवस्था का एक आवश्यक घटक है।उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेश सभी संबंधित उच्च न्यायालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति इन निर्णयों और आदेशों तक पहुंच प्राप्त कर सकता है।इसी तरह, लंबित मामलों की स्थिति और भारत के संविधान की धारा 235 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश जैसे कि स्थानांतरण, नियुक्ति और पदोन्नति जैसे अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण भी ए में उपलब्ध कराया जाता है।

/

/

/

वेबसाइट।कार्यवाहियों में वादियों से संबंधित दस्तावेजों और अन्य जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने और उचित संतुलन बनाए रखने के लिए, उच्च न्यायालय के नियम तीसरे पक्ष से दस्तावेजों की जानकारी/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए एक आवेदन/हलफनामा दायर करने पर जोर देते हैं, ताकि ऐसा आवेदन ऐसी जानकारी के दुरुपयोग के अलावा असहनीय अनुपात तक पहुंच जाए।

/

34. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधान सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 और उस समय लागू किसी अन्य विधि या आर. टी. आई. अधिनियम के अलावा किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी भी दस्तावेज में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 151 के अंतर्गत जानकारी मांगने के लिए आधार बताते हुए एक शपथपत्र दायर करने की आवश्यकता आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 (2) के सीधे विपरीत है और आर. टी. आई. अधिनियम और गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के प्रावधानों के बीच सीधी असंगति है और आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों और संसद या राज्य विधानमंडल या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि के प्रावधानों के बीच संघर्ष की स्थिति में, आर. टी. आई. अधिनियम प्रबल होना चाहिए।35. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 के अबाधित खंड में तीन श्रेणियों का उल्लेख किया गया हैः- (i)

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923; और (ii) उस समय लागू कोई अन्य विधि ; या (iii) इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी कोई दस्तावेज। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के साथ किसी भी विधि की विसंगति के मामले में, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रमुख प्रभाव दिया गया है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 31, जो एक निरसन खंड है, केवल सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को निरस्त करती है, न कि अन्य विधि ों को।सूचना का अधिकार अधिनियम ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम या गोपनीयता प्रदान करने वाले किसी भी कानून को निरस्त नहीं किया है जो अधिकारियों को जानकारी का खुलासा करने से रोकता है।इसलिए, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 सहित वे सभी अधिनियम अभी भी लागू हैं।हालाँकि, इस अधिनियम का प्रभाव इस हद तक प्रबल है कि वे असंगत हैं।

/

/

/

/

36. आर. टी. आई. अधिनियम के गैर-अस्थाई खंड का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अंतर्गत विरचित गए उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों का निहित निरसन नहीं है; लेकिन केवल विसंगति के मामले में इसका प्रबल प्रभाव पड़ता है।एक विशेष अधिनियम या नियम को बाद के सामान्य अधिनियम द्वारा केवल इसलिए ओवरराइड नहीं किया जा सकता है क्योंकि बाद वाला एक गैर-अस्थाई खंड के साथ खुलता है, जब तक कि दोनों विधानों के बीच स्पष्ट विसंगति न हो। इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैं

/

/

आर. एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(1992) 1 एस. सी. सी. **335** जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"38. अजय कुमार बनर्जी बनाम भारत संघ (1984) 3 एस. सी. सी.

127, सब्यसाची मुखर्जी, जे. (उनके प्रभुता के रूप में) इस प्रकार मनाया गया:

/

"जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है कि यदि योजना को वैध माना जाता है, तो यह प्रश्न उठता है कि सामान्य विधि क्या है और विशेष विधि क्या है और संघर्ष की स्थिति में कौन सा विधि प्रबल होता और इसके लिए इस योजना को लागू करना आवश्यक होता।

सिद्धांत "सामान्य विशेषज्ञता गैर अपमानजनक"।जनरल

दोनों कानूनों के बीच टकराव के मामले में पालन किया जाने वाला नियम यह है कि बाद वाला पहले वाले को निरस्त कर देता है।दूसरे शब्दों में, एक पूर्व विशेष विधि बाद के सामान्य विधि को जन्म देगा, यदि निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई भी संतुष्ट हैः

/

((i) दोनों एक दूसरे के साथ असंगत हैं।

/

((ii) बाद में पहले के अधिनियम का कुछ स्पष्ट संदर्भ है।

यदि इन दोनों शर्तों में से किसी एक को पूरा किया जाता है, तो बाद का विधि , भले ही सामान्य हो, प्रबल होगा। "

37. जैसा कि पहले बताया गया है, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 31 केवल सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को निरस्त करती है न कि अन्य कानूनों को।यदि विधायिका का इरादा किसी अन्य अधिनियम या कानून को निरस्त करना था जो किसी आवेदक को जानकारी के प्रसार से संबंधित है, तो आर. टी. आई. अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ऐसा निर्दिष्ट किया होगा।इस आशय के किसी भी प्रावधान के अभाव में, आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि उनका कोई ऐसा अर्थ हो जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं था।आर. टी. आई. अधिनियम में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को छोड़कर विभिन्न उच्च न्यायालयों या किसी अन्य विशेष विधि द्वारा विरचित गए नियमों का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है।

/

/

38. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 151 में कार्यवाही के लिए एक तीसरे पक्ष को एक शपथपत्र दायर करने और जानकारी तक पहुंच या रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों को प्रदान करने के कारणों को बताने की आवश्यकता है और आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ उच्च न्यायालय के नियमों की कोई विसंगति नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय के नियम न तो सूचना के प्रसार या अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों के अनुदान को प्रतिबंधित करते हैं और न ही मना करते हैं।अंतर केवल ए दाखिल करने की शर्त के रूप में है

/

/

489

प्रमुख सूचना आयोग बनाम गुजरात और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय । [आर. भानुमति, जे.] ए.

आवेदन/शपथ पत्र या शुल्क के भुगतान आदि का संबंध है, दोनों प्रावधानों के बीच कोई विसंगति नहीं है और इसलिए, गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 151 पर आर. टी. आई. अधिनियम का कोई प्रबल प्रभाव नहीं है।39. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) से (जे) के अंतर्गत दस श्रेणियों की जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है। धारा 8 (1) (जे) व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को बाहर करती है, जिसका प्रकटीकरणः- (i) किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है; या (ii) व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बन सकता है।हालाँकि, दोनों मामलों में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण का आदेश दे सकते हैं, यदि वे संतुष्ट हैं कि व्यापक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण को उचित ठहराता है।इसका मतलब यह होगा कि व्यक्तिगत जानकारी जिसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कुछ संबंध है, का खुलासा किया जा सकता है। निजता पर आक्रमण को उचित माना जा सकता है यदि व्यापक सार्वजनिक हित की आवश्यकता हो।

/

/

40. न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई जानकारी किसी विशेष मामले के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत मुकदमेबाजी या जानकारी के पक्षकारों की व्यक्तिगत जानकारी होती है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विभिन्न न्यायाधिकरणों से प्राप्त मामलों से संबंधित जानकारी उच्च न्यायालय के पास हो सकती है।उदाहरण के लिए, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य न्यायाधिकरणों के आदेशों से उत्पन्न होने वाले मामले, जिन पर उच्च न्यायालय पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय वे दस्तावेज हैं जो मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों से संबंधित हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण का आदेश दे सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि व्यापक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण को उचित ठहराता है।जहाँ तक उच्च न्यायालय के नियमों का संबंध है, यदि न्यायालय के न्यायिक पक्ष में दस्तावेजों की जानकारी या प्रमाणित प्रतियों/कार्यवाही/आदेशों के रिकॉर्ड की आवश्यकता है, तो तीसरे पक्ष को ऐसी जानकारी प्राप्त करने के कारणों को बताते हुए एक आवेदन/हलफनामा दायर करना होगा।सूचना की प्रमाणित प्रति/प्रकटीकरण की आवश्यकता के कारणों के बारे में संतुष्ट होने पर, न्यायालय या संबंधित अधिकारी प्रमाणित प्रतियों के अनुदान

के लिए आदेश देंगे।जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश XIII नियम 3 में भी वही प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो दस्तावेज़ों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रति मांगने वाले तीसरे पक्ष के लिए है।

/

/

/

/

/

490

/

[2020] 5 एस सी आर।

41. एक अन्य तर्क यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करके आवेदक को दी जा सकती है। अधिनियम की धारा 11 तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है।अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, यदि आवश्यक जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से को किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किया गया है और उसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर, अनुरोध के ऐसे तीसरे पक्ष को एक लिखित सूचना देते हैं और इस तथ्य के बारे में कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जो भी मामला हो, जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है और तीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए और जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष की ऐसी प्रस्तुति को ध्यान में रखा जाएगा।

/

/

42. हम उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और दस्तावेजों की जानकारी/प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए ऐसी बोझिल प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है।जब सूचना तक पहुँच रखने या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी तंत्र होता है, जो हमारे विचार में एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, यानी आवश्यक न्यायालय शुल्क के साथ एक आवेदन/हलफनामा दाखिल

करना और उन कारणों को बताना जिनके लिए प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता होती है, तो हम आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 को लागू करने और एक बोझिल प्रक्रिया अपनाने के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं।इसमें समय और राजकोषीय संसाधनों दोनों की बर्बादी शामिल होगी, जिससे आर. टी. आई. अधिनियम की प्रस्तावना स्वयं बचने का इरादा रखती है।

/

/

43. हम अपने निष्कर्ष को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:-

(i) गुजरात उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 151 में कहा गया है कि किसी तीसरे पक्ष को सूचना तक पहुंच/दस्तावेजों या आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए सूचना प्राप्त करने के कारणों को बताते हुए एक आवेदन/हलफनामा दायर करने की आवश्यकता है, जो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। लेकिन केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यास या शुल्क के भुगतान आदि के रूप में एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करता है।आर. टी. आई. अधिनियम और अन्य विधि ों के प्रावधानों के बीच अंतर्निहित विसंगति के अभाव में, आर. टी. आई. अधिनियम का प्रबल प्रभाव लागू नहीं होगा।

/

/

/

/

((ii) उच्च न्यायालय के नियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली न्यायिक पक्ष की जानकारी/प्रमाणित प्रतियां, आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाएगा।

44. उपरोक्त तर्कों के आलोक में, 2013 की लेटर्स पेटेंट अपील No.1348 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 13.03.2014 के आक्षेपित आदेश की पुष्टि की जाती है और इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।हम न्यायमित्र के रूप में श्री आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता को दर्ज करते हैं।

/

/

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

/

/

/

/

/